


22/8/25

पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्षकारानु  
साम्यवस्था उपयुक्त होने के कारण प्रकरण को  
आदेशिका क्रमांक 04.5.2022 अनुसार समाप्त  
कर दिया है तथा प्रकरण में अंततः प्रत्येक  
में अलग आवधान रखे जाते हैं। निर्णय का  
द्वारा ही इसके कारण प्रकरण इसी स्तर पर  
बंद किया जाता है। मूलबंद नहीं है।  
पत्रावली दाखिल समुदाय है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा